

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

पत्रांक - वि० प्रा० (I) नियुक्ति-08/2016- 592

/पटना, दिनांक - 08.03.2017


बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-112 दिनांक-14.10.2016 के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में निम्नांकित अभ्यर्थियों को वेतनमान- पीबी रू० 15600-39100) + एकेडमिक ग्रेड पे रू० 6000 में सहायक प्राध्यापक (Information Technology) के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए कॉलम-6 के सामने अंकित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	पत्राचार का वर्तमान पता	संयुक्त मेधा क्रमांक	आरक्षण कोटि	पदस्थापित अभि० महा० का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री शशि राज	S/o अनिल कुमार पोद्दार (प्रोजेक्ट इंजीनियर) वल्ड बैंक प्रोजेक्ट स्पेशल डिविजन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, 7, सरदार पटेल मार्ग, पटना -800015	1	सामान्य	भागलपुर अभि० महा०, भागलपुर
2.	श्री संतोष कुमार राय	द्वारा श्री देवेन्द्र चौधरी डॉ० मोहन सिंह पैथोलैब खजांची रोड, पटना - 800004	2	सामान्य	मुजफ्फरपुर अभि० महा०, मुजफ्फरपुर
3.	कुमारी प्रियंका सिन्हा	D/o रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, हनुमाननगर, न्यू पुनाईचक, पटना - 800023	03	सामान्य	मुजफ्फरपुर अभि० महा०, मुजफ्फरपुर
4.	श्री विजय कुमार	S/o बष्मिठ चौधरी, क्वाटर नं०-ई० डब्लू० एस० - 44 हरमू हॉउसिंग कॉलोनी, राँची झारखण्ड - 834012	11	अनु० जाति	मुजफ्फरपुर अभि० महा०, मुजफ्फरपुर
5.	सुश्री श्वेता कुमारी	D/o श्रीमती सुनिता कुमारी D/41, पोस्ट ऑफिस के नजदीक रा० कृ० वि०, पूसा, समस्तीपुर, बिहार - 848125	08	अ०पि०व०	मुजफ्फरपुर अभि० महा०, मुजफ्फरपुर

P.T.O.

2. नियुक्त अभ्यर्थी इस अधिसूचना निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर अपना योगदान पदस्थापित अभियंत्रण महाविद्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. बिहार सेवा संहिता के नियम 52 के अन्तर्गत उपरोक्त सभी नियुक्त अभ्यर्थी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र समर्पित कर चुके हैं।
4. नियुक्त सहायक प्राध्यापकों, (आई० टी०) की आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के संयुक्त मेधा क्रम के अनुसार निर्धारित होगी।
5. नियुक्त अभ्यर्थियों की जन्म-तिथि, शिक्षण कार्य का अनुभव, शैक्षणिक अर्हता आदि तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन में किसी प्रकार का यदि प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो उनकी नियुक्ति बिना किसी कारण पृच्छा के समाप्त कर दी जायेगी और इस संबंध में इनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


8/03/17
सरकार के उप सचिव ॥